राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B.Civil Writ Petition No. 17671 / 2016

Rajesh Tola Son of Late Shri Shyam Lal Tola, by Caste Tola, Aged About 56 Years, Resident of Ujjain Road, Village Nagda, District Ujjain (M.P.)

----Petitioner-Defendant

Versus

1. Karan Singh Shekhawat S/o Shri Kishan Singh
2. Vikram Singh S/o Shri Karan Singh
3. Smt. Kailash Devi W/o Shri Karan Singh
4. Smt. Marudhar W/o Shri Vikram Singh, All Residents of Plot No. 33, Green Avenue, Khatipura Road, Jaipur (Raj.)

----Respondent-Plaintiffs

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री कैशव अग्रवाल।
अयाचीगण के अधिवक्ता श्री रजत रंजन।

:: आदेश :: **31.01.2017**

याची–प्रतिवादी की ओर से अधीनथ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संख्या–**11,** जयपुर महानगर द्वारा दीवानी वाद संख्या **965/2014** में पारित आदेश दिनांक **10.11.2016**, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा याची–प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई, से व्यथित होकर याची–प्रतिवादी की ओर से यह रिट याचिका पेश की गई है।

रिट याचिका पर बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अधिरोपित हर्जे की राशि एवं वर्तमान में पुनः साक्ष्य प्रतिवादी खोले जाने का अवसर दिये जाने पर दस हजार रूपये हर्जे की राशि स्वेच्छा से अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराने को तैयार है। अतः रिट याचिका स्वीकार कर साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने का एक अवसर न्यायहित में प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

योग्य अधिवक्ता अयाची को पूर्व की बकाया हर्जे की राशि एवं वर्तमान में अधिरोपित हर्जे की राशि जमा कराने पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु एक अवसर दिये जाने में कोई ऐतराज नहीं है।

विचार किया गया। स्वीकृत रूप से पक्षों के मध्य जिस प्रकृति का विवाद है और याची–प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्तानुसार हर्जे की राशि के बाबत जो प्रस्ताव रखा गया है, उसको एवं योग्य अधिवक्ता अयाची की अनापत्ति को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका दस हजार रूपये के हर्जे पर निम्न प्रकार निस्तारित की जाती है :

1. याची–प्रतिवादी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में लगाई गई हर्जे की राशि के अतिरिक्त दस हजार रूपये हर्जे की राशि सहित समस्त राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर याची–प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में संशोधन किया जाता है।

2. याची–प्रतिवादी अपनी समस्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखेगा और अधीनस्थ न्यायालय जहॉ तक सम्भव हो सके, प्रतिवादी साक्ष्य को उसी दिन लेखबद्ध करे, यदि किसी

कारण से साक्ष्य पूर्ण नहीं होती तो प्रकरण को दिन–प्रतिदिन नियत रखते हुए, साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण करे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनकर प्रकरण का यथासम्भव शीघ्र निस्तारण करे।

उपरोक्तानुसार रिट याचिका एवं तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित होता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–